न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश ई0सी0एक्ट,अयोध्या।

उपस्थितः–मोहिन्दर कुमार, उच्चतर न्यायिक सेवा, जे.ओ.कोड नं0–यू.पी.6383

दीवानी अपील संख्याः–34/2022
पंजीयन संख्या–39/2022
सी.एन.आर.नं–यू.पी.एफ.जेड.010065732022

1. उर्मिला चौधरी उम्र लगभग 54 साल पत्नी श्री सुरेन्द्र कुमार चौधरी
2. सुरेन्द्र कुमार चौधरी उम्र लगभग 54 साल पुत्र टेकईराम वर्मा

समस्त निवासीगण मौजा बुद्धीताल पोस्ट अशरफपुर मजगंवा परगना सुरहुरपुर जिला अम्बेडकरनगर हाल पता राजकीय पालीटेक्निक परिसर फैजाबाद/अयोध्या।

..........अपीलार्थीगण

बनाम

1. सचिव अयोध्या विकास प्राधिकरण फैजाबाद/अयोध्या।
2. उपाध्यक्ष अयोध्या विकास प्राधिकरण फैजाबाद/अयोध्या।
3. अध्यक्ष अयोध्या विकास प्राधिकरण फैजाबाद/अयोध्या।
4. अधिशाषी अभियन्ता अयोध्या विकास प्राधिकरण फैजाबाद/अयोध्या।

......रेस्पान्डेन्टस

निर्णय

1. दीवानी अपील संख्या–34/2022 अपीलार्थी उर्मिला चौधरी व सुरेन्द्र कुमार चौधरी की ओर से मूलवाद संख्या–243/2016 श्रीमती उर्मिला चौधरी अन्य बनाम अयोध्या विकास प्राधिकरण एवं अन्य में विद्वान सिविल जज सीनियर डिवीजन द्वारा पारित निर्णय दिनॉकित–19.09.2022 से क्षुब्ध होकर योजित की गयी है।

2. दीवानी अपील में अपीलार्थी उर्मिला चौधरी व सुरेन्द्र चौधरी ने मूलवाद संख्या–243/2016 रेस्पान्डेन्ट/प्रतिवादीगण के विरूद्ध आदेशात्मक निषेधाज्ञा के अनुतोष को प्रदान किये जाने हेतु प्रस्तुत किया था। रेस्पाण्डेन्ट संख्या–1 के कार्यालय से अवध बिहार आवासीय योजना सिविल लाइन्स फैजाबाद में एच.आई.जी. डुप्लेक्स क्षेत्र 115.5 वर्गमीटर 2 बीएचके भूतल,प्रथम तल, द्वितीय तल क्षेत्रफल 113 वर्गमीटर, 2बीएचके भूतल,प्रथम तल,द्वितीय तल क्षेत्रफल 105.5 वर्गमीटर तथा एक बीएचके भूतल,प्रथम तल, द्वितीय तल क्षेत्रफल 75वर्गमीटर के भवन हेतु विज्ञापन प्रकाशित हुआ था। वादिनी द्वारा एच.आई.जी. डुप्लेक्स भवन हेतु आवेदन किया गया। अनुमानित लागत 34 लाख 25 हजार रूपये तथा पंजीकरण राशि तीन लाख पचास हजार रूपये निर्धारित थी। वादीगण/अपीलान्ट ने प्रतिवादी संख्या–1 के कार्यालय में समस्त औपचारिकताओं को पूर्ण कर विवरण पंजिका प्राप्त कर आवेदनपत्र दाखिल किया तथा विभिन्न तिथियो में एच.आई.जी.डुप्लेक्स के बाबत

Digitally signed by MOHINDER KUMAR
Date: 2023.12.23 11:56:01 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

कुल 35,78,250रूपये जमा किया। दिनॉक–29.04.2014 को वादीगण / अपीलान्ट के पक्ष में भवन संख्या–9 एच.आई.जी.डुप्लेक्स का पंजीकरण प्रतिवादी / रेस्पाण्डेन्ट संख्या–1 के द्वारा कर दिया गया। प्रतिवादी / रेस्पान्डेन्ट संख्या–1 के यहॉ से मात्र कब्जा का प्रमाण पत्र दिया गया जबकि भौतिक रूप से भवन का कब्जा प्रदान नही किया गया। वादीगण / अपीलान्ट कब्जा प्रमाण पत्र का प्रपत्र पाकर उक्त भवन को देखने गये तो भवन के अन्दर जाने पर वादीगण / अपीलान्ट को उक्त भवन मानक के अनुरूप बना हुआ नही मिला। भवन में सगौन की लकडी के स्थान पर जामुन की लकडी का प्रयोग हुआ मिला। विद्युतीकरण का कार्य भी अधूरा मिला। पानी की सप्लाई हेतु मानक के अनुसार 20एम.एम. पाइप के स्थान पर मानक के विपरीत 15 एम.एम. की पाइप का प्रयोग मिला इस अलावा भवन में गेट व खिडकी का कार्य भी अधूरा मिला। भवन में पानी की टंकी, वासबेसिंग तथा टायलेट सीट मानक के अनुरूप न होकर छोटी तथा घटिया के अनुरूप मिली। वादीगण / अपीलान्ट ने उक्त भवन में कमियो को दूर करने के बाबत शिकायत प्रार्थना पत्र प्रतिवादी / रेस्पाण्डेन्ट संख्या–1 के कार्यालय में दिनॉक–21.08.2014, 19.09.2014 व 15.06.2015 को लिखित रूप में दिया गया परन्तु उस पर कोई कार्यवाही नही हुई। इसके बाद वादीगण / अपीलान्ट ने उक्त घटिया निर्माण के बाबत शिकायत मय बाछित शुल्क मु0–2000 / –रूपये का भुगतान एस.बी.आई. बैक में चालान संख्या–177 दिनॉक –14.07.2015 के द्वारा जमा करके लोकायुक्त महोदय उत्तर प्रदेश शासन को दिया। वादीगण / अपीलान्ट ने पुनः प्रतिवादी / रेस्पान्डेन्ट के यहॉ दिनॉक–18.06. 2015 को उक्त भवन में घटिया सामग्री की जॉच कराने हेतु प्रार्थना पत्र दिया परन्तु प्रतिवादी / रेस्पान्उेन्ट हमेशा वादिनी / अपीलान्ट को परेशान करते रहे और उसे कार्यालय बुलाकर दौडाते रहे। वादीगण / अपीलान्ट ने प्रतिवादी / रेस्पाण्डेन्ट संख्या–1 के यहॉ विवादित भवन का भौतिक कब्जा प्रदान करने तथा मानक के खिलाफ लगाये गये सामानो को बदलने के बाबत दिनॉक–18.09.2014 को प्रार्थना पत्र दिया परन्तु कोई कार्यवाही नही हुई। वादीगण / अपीलान्ट ने प्रतिवादी / रेस्पाण्डेन्ट संख्या–2 के यहॉ विवादित भवन पर भौतिक कब्जा प्रदान करने तथा भवन में प्रयुक्त घटिया सामग्री को मानक के अनुरूप लगवाने हेतु प्रार्थना पत्र क्रमश : 02.12.2014, 13.01.2015 तथा 18.06.2015 दिया किन्तु कोई कार्यवाही नही हुई। वादीगण / अपीलान्ट ने पुनः प्रतिवादी / रेस्पाण्डेन्ट संख्या–3 के यहॉ भी उक्त कमियो को दूर करने तथा विवादित भवन पर कब्जा प्रदान कराने के बाबत क्रमशः दिनॉक–22.04.2014, 20.03.2014, 21.08.2014, 18.09.2012 13.01.2015 तथा 18.06. 2015 को दिया परन्तु कोई कार्यवाही नही हुई इस प्रकार वादीगण / अपीलान्ट ने

विवादित भवन के सम्बन्ध में प्रतिवादी / रेस्पाण्डेन्ट संख्या–4 के समक्ष लिखित प्रार्थना पत्र दिनॉकित–18.06.2015 दिया परन्तु कोई कार्यवाही नही हुई न ही वादीगण / अपीलान्ट को भौतिक कब्जा ही दिया गया न ही भवन में प्रयुक्त घटिया सामग्री के स्थान पर तय शुदा सामग्री ही लगायी गयी। वादीगण / अपीलान्ट स0–1 ने उक्त घटिया सामग्री को बदलकर मानक के अनुरूप को लगाते हुए बराबर से भौतिक कब्जा को प्रदान करने का अनुनय विनय किया किन्तु प्रतिवादी / रेस्पाण्डेन्ट द्वारा दिनॉक–05.04.2016 को जो सामग्री लगी है जो मानक के अनुरूप है उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नही होगा और किसी प्रकार की कार्यवाही वादिनी के शिकायत पर करने तथा भौतिक कब्जा प्रदान करने से इंकार कर दिया। अन्त में निम्नलिखित अपील आधार कथित किया गया।

1) यह कि विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय तथा आज्ञापित मय आदेश दिनॉक–19.09.2022 विधि विरूद्ध एवं अनियमित होने के कारण निरस्त होने योग्य है।

2). यह कि विद्वान अवर न्यायालय ने उभयपक्षो के द्वारा प्रस्तुत अभिवचनो तथा अभिलेखीय साक्ष्य तथा मौखिक साक्ष्य का बिना सम्यक परिशीलन किये सरसरी तौर पर विवादित आदेश पारित किया।

3). यह कि विद्वान अवर न्यायालय का निर्णय मात्र परिकल्पनाओं पर आधारित आदेश है।

4). यह कि विद्वान अवर न्यायालय ने वाद बिन्दु संख्या–1 का निस्तारण मनमाने ढग से करके कब्जा प्रपत्र प्रमाण पत्र को भौतिक कब्जा मनमाने ढग से मानकर भयंकर गलती किया है।

5). यह कि विद्वान अवर न्यायालय ने प्रतिवादी / रेस्पान्डेन्ट के प्रतिवादपत्र की धारा–23 में अंकित कब्जा दिनॉक–24.05.2014 को मानकर त्रुटि की है।

6). यह कि अवर न्यायालय द्वारा पारित सर्वथा अवैध व मनमाना, विधि विरूद्ध तथा न्याय के सिद्वान्तो के विरूद्ध है इसलिये बने रहने योग्य नही है।

7). यह कि विद्वान अवर न्यायालय ने अमीन आख्या मय मानचित्र कागज संख्या–23ग पर ध्यान न देकर अपने में निहित शक्तियो का प्रयोग कर मनमाने ढग से पारित आदेश किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है।

3. अन्त में अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना की गयी कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश / निर्णय दिनॉक–19.09.2022 को निरस्त करते हुए अपीलान्ट / वादीगण के मूलवाद को सव्यय स्वीकार किया जाये।

4. मेरे द्वारा मूलवाद संख्या–243 / 2016 उर्मिला चौधरी आदि बनाम सचिव विकास प्राधिकरण की पत्रावली को आहूत किया गया। मूलवाद की पत्रावली के परिशीलन से विदित हुआ कि वादपत्र के कथनो से इंकार करते हुए प्रतिवादीगण की ओर से वादोत्तर 13क प्रस्तुत किया गया। जिसमें यह कथन किया गया उत्तरदायी / प्रतिवादीगण आवास अनुभाग के अधीन अथवा उसके द्वारा जारी शासनादेश के मुताबिक कार्य करते हुए अवध विहार आवासीय योजना अन्तर्गत आवासीय भवनो का निर्माण विभिन्न मानक के अनुरूप कराया गया जिसमें एच.आई. जी.डुप्लेक्स का क्षेत्र 150.50वर्गमीटर रहा उक्त आवासीय योजन अन्तर्गत भवन संख्या–9 एच.आई.जी.डुप्लेक्स वादिनी को आवंटित हुआ वादिनी ने भवन निर्माण के पश्चात पूरे भवन का निरीक्षण किया और सन्तोषपद स्थिति को देखते हुए उसने भवन के आवंटन हेतु आवेदन किया और उपरोक्त भवन एच.आई.जी. आवटित हो गया। उपरोक्त भवन आवंटन के उपरान्त वादिनी ने अपने पति श्री सुरेन्द्र कुमार चौधरी का नाम सम्मिलित करने हेतु शपथपत्र दिनॉक–03.01.2013 प्रस्तुत किया जिसके आधार पर वादिनी के साथ उसके पति का नाम भी अंकित कर दिया गया। उपरोक्त भवन का पंजीयन उत्तरदायी प्रतिवादीगण ने वादिनी तथा उसके पति के पक्ष में दिनॉक–29.04.2014 को कर दिया। भवन का पंजीकरण होने के पश्चात वादिनी व उसके पति सुरेन्द्र कुमार चौधरी को प्रश्नगत भवन पर भौतिक कब्जा दिनॉक–24.05.2014 को देते हुए कब्जा प्रमाण पत्र हस्तगत कर दिया। वादिनी बहुत चालाक व मुकदमेबाज महिला होना कथित किया गया है।

5. पत्रावली के परिशीलन से यह भी विदित हुआ कि वादिनी / अपीलान्ट संख्या–1 द्वारा जबाबुल जबाब कागज संख्या–21 प्रस्तुत कर प्रतिवादी / रेस्पान्डेन्ट के जबाबदावे से इंकार किया तथा वादपत्र में कहे गये अमानक व घटिया किस्म की सामग्री का विवादित भवन में प्रयोग किये जाने का पुनः कथन किया गया साथ यह भी कहा कि विवादित भवन का भौतिक कब्जा उसे नही दिया गया है। केवल कब्जा पावती के रूप में कब्जा प्रपत्र पर कब्जा प्रपत्र को प्राप्त करने का उल्लेख किया गया है।

6. विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पक्षकारो के अभिवचन के आधार पर निम्नलिखित वाद बिन्दु विरचित किये गये।

1). क्या वादिनी वादपत्र के कथनानुसार विवादित भवन संख्या–एच.आई.जी.–9 डुप्लेक्स जिसका विवरण वादपत्र के अन्त में दिया गया है में प्रयुक्त घटिया सामग्री को बदल कर शुद्ध सामग्री लगवाकर भौतिक कब्जा दखल पाने की अधिकारिणी है?

2). क्या वादीगण द्वारा वाद का मूल्यांकन कम किया गया है तथा प्रदत्त न्यायशुल्क अपर्याप्त अदा की गयी है ?

3). क्या इस न्यायालय को वाद की सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त नही है?

4). क्या वादी का वाद प्रस्तुत करने का कार्य कारण उत्पन्न है?

5). क्या वादीगण किसी अन्य उपशम को पाने के अधिकारी है?

7. वादीगण / अपीलार्थीगण की ओर से अवर न्यायालय में अपने वादपत्र में कथनो के समर्थन मौखिक साक्षी के रूप में पी.डब्लू.–1 वादिनी उर्मिला चौधरी, पी.डब्लू.–2 मनीष कुमार वर्मा को परीक्षित कराया गया है तथा प्रलेखीय साक्ष्य के रूप में सूची 10ग के माध्यम से छायाप्रति विवरण पुस्तिका अवध विहार आवासीय योजना, छाया प्रति शिडयूल जी, छायाप्रति जमाशुल्क, छायाप्रति रजिस्ट्री दिनॉक–29.04.2014, छायाप्रति भवन कीमत, छायाप्रति शिकायती प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

8. प्रतिवादीगण / रेस्पाण्डेन्ट की ओर से अवर न्यायालय में अपने कथनो के समर्थन मौखिक साक्षी के रूप में डी.डब्लू.–1 छविनाथ पाण्डेय का साक्ष्य को परीक्षित कराया गया है तथा प्रलेखीय साक्ष्य के रूप में सूची 15ग के माध्यम से कब्जा प्रमाण पत्र की छायाप्रति,विलेख बैनामा दिनॉक–29.04.2014 की छायाप्रति सूची 54ग के माध्यम से मूल कब्जा प्रमाण पत्र दाखिल किया गया है।

9. पत्रावली के परिशीलन से विदित होता है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा विरचित किये गये वादबिन्दु संख्या–1 एवं वाद बिन्दु संख्या–4 वादी के विरूद्ध निर्णीत किया गया। वाद बिन्दु संख्या–2 एवं 3 वादीगण के पक्ष में निर्णीत किया गया तथा वाद बिन्दु संख्या–5वादीगण के विरूद्ध नकारात्मक रूप से निर्णीत करते हुए दावा वादीगण सब्यय निरस्त करने का आदेश पारित किया गया। उक्त आदेश निर्णय / आदेश दिनॉकित–19.09.2022 से क्षुब्ध होकर प्रस्तुत अपील योजित की गयी है।

10. **उभयपक्षो के विद्वान अधिवक्तागण की विद्वतापूर्ण बहस को सुना गया तथा मूलवाद पत्रावली मय अपील पत्रावली का परिशीलन किया गया।**

11. उभयपक्षो के विद्वतापूर्ण बहस को सुनने के उपरान्त प्रस्तुत प्रकरण में निम्नलिखित अवधारणीय बिन्दु आकर्षित होते है–

1). क्या प्रश्नगत एच.आई.जी.डुप्लेक्स भवन संख्या–9 का भौतिक कब्जा अपीलार्थी को प्रदान कर दिया गया है?

2). क्या प्रश्नगत एच.आई.जी.डुप्लेक्स भवन संख्या–9 में रेस्पान्डेन्टगण द्वारा अमानक सामग्री का प्रयोग किया गया है यदि हॉ तो प्रभाव?

3). क्या विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अमीन आख्या मय मानचित्र कागज संख्या–23ग पर ध्यान न देकर त्रुटि कारित की गयी है?

<u>अवधारणीय बिन्दु संख्या–1</u>

12. अवधारणीय बिन्दु संख्या–1 इस आशय से विरचित किया गया है कि क्या प्रश्नगत एच.आई.जी.डुप्लेक्स भवन संख्या–9 का भौतिक कब्जा अपीलार्थी को प्रदान कर दिया गया है?

13. प्रस्तुत प्रकरण में पक्षकारो के मध्य यह अविवादित तथ्य है कि अवध बिहार आवासीय योजना में स्थित एच.आई.जी.डुप्लेक्स भवन संख्या–9 को अपीलार्थीगण / वादीगण को प्रतिवादीगण / रेस्पान्डेन्ट के द्वारा आवंटित कर उसका पंजीयन उपनिबन्धक कार्यालय फैजाबाद में करा दिया गया। अपीलार्थीगण के अनुसार उक्त विवादित भवन का भौतिक कब्जा उसे प्राप्त नही हुआ बल्कि उसे केवल कब्जा प्रपत्र ही रेस्पान्डेन्ट द्वारा प्रदान किया गया। वही रेस्पान्डेन्ट / प्रतिवादीगण की ओर से यह कथन किया गया कि विवादित भवन का कब्जा दखल वादिनी को दिनॉक–24.05.2014 को प्रदान किया गया है, जिसका उल्लेख उनकी ओर से प्रस्तुत जबाबदावा में भी किया गया था।

14. विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा वाद बिन्दु संख्या–1 एवं 4 के निस्तारण में यह निष्कर्ष दिया गया कि वादीगण के पक्ष में कब्जा प्रमाण पत्र जारी किया जा चुका है। चूँकि वादीगण को भौतिक कब्जा प्राप्त हो चुका है प्रस्तुत वाद का कोई कार्य कारण उत्पन्न होना नही पाया जाता है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा इस निष्कर्ष का आधार पत्रावली पर उपलब्ध कब्जा प्रमाण पत्र कागज संख्या–54ग1 / 2 पर सम्बन्धित अधिशाषी अभियक्ता एस.डी.तिवारी द्वारा दिनॉक–29.05.2014 को किया गया यह पृष्ठांकन कि ''आवंटी को भवन का सन्तोषजनक ढ़ग से कब्जा दिया गया'' बताया गया है।

15. इस सम्बन्ध में जब हम मूलवाद की पत्रावली का सूक्ष्मता से परिशीलन करते है तो मूलवाद पत्रावली में उपलब्ध कब्जा प्रमाण पत्र कागज संख्या–54ग1 / 2 पर अवश्य यह लिखा पाते है कि सम्पत्ति अधिकारी अयोध्या फैजाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा दिनॉक–24.05.2014 को कब्जा प्रमाण पत्र निर्गत करते समय यह अंकित किया गया कि <u>''आवंटी को कब्जा दे दिया जाये। कब्जा पत्र की एक प्रति अधोहस्ताक्षरी को भी प्रेषित करने का कष्ट करें।''</u> इसी कब्जा प्रमाण पत्र पर दिनॉक–29.05.2014 को विकास प्राधिकरण के अधिकारी द्वारा यह

टिप्पणी अलग से अंकित की गयी है कि **''आवंटी को भवन का सन्तोषजनक ढग से कब्जा दिया गया।''** उक्त कब्जा प्रमाण पत्र के नीचे भाग पर सुरेन्द्र कुमार चौधरी द्वारा **'कब्जा पत्र'** प्राप्त किये जाने का तथ्य अंकित किया गया है। उक्त कब्जा प्रमाण पत्र पर उपरोक्त तीनो टिप्पणी यह दर्शाती है कि सम्पत्ति अधिकारी अयोध्या द्वारा दिनॉक–24.05.2014 को प्रश्नगत भवन का कब्जा आवंटी को दे दिये जाने का निर्देश दिया गया। विकास प्राधिकरण के एक अन्य अधिकारी द्वारा अवश्य ही कब्जा प्रमाण पत्र पर यह लिखा गया कि 'आवंटी को सन्तोषजनक ढग से कब्जा दिया गया'। विकास प्राधिकरण के अधिकारी की यह टिप्पणी एक तरफा टिप्पणी प्रतीत होती है, क्योकि आवंटी वादीगण अर्थात अपीलार्थीगण द्वारा इसी कब्जा प्रमाण पत्र पर भौतिक कब्जा प्राप्त करने का कोई उल्लेख नही किया गया है बल्कि स्पष्टतया केवल **''कब्जा प्रपत्र''** को प्राप्त करने का उल्लेख किया गया है। उक्त उल्लेख के परिशीलन से कही भी अपीलार्थी / वादीगण की यह स्वीकारोक्ति प्रदर्शित नही होती है कि उनके द्वारा प्रश्नगत भवन का भौतिक कब्जा भी दिनॉक–29.05.2014 को ही प्राप्त कर लिया गया था। इस तथ्य की पुष्टि पत्रावली पर उपलब्ध अमीन आख्या 23ग से भी होती है, जो यह दर्शाती है कि अमीन आयुक्त मुकदमा उपरोक्त के सम्बन्ध में वादग्रस्त स्थल पर निरीक्षण करने हेतु दिनॉक –20.08.2016 को मौके पर गये थे। अमीन आयुक्त द्वारा अपनी आख्या कागज संख्या–23ग / 1 में स्पष्टतया यह अंकित किया गया है कि वादग्रस्त स्थल पर वादिनी के पति एवं प्रतिवादीगण के ठेकेदार के चौकीदार उपस्थित मिले। प्रवेश द्वार पर लगे दरवाजे का ताला प्रतिवादीगण के ठेकदार के चौकीदार ने खोलकर निरीक्षण कराया। उनकी निशानदेही एवं सहायता से वादग्रस्त स्थल का निरीक्षण आवश्यक माप करके पैमाना मानचित्र तैयार किया गया। स्थल कार्यवाही रिपोर्ट कागज संख्या–23ग / 4 में अंकित है कि विद्वान अधिवक्ता कमीशन अधिपत्र पर अंकित को पूर्व सूचित करवाकर वादग्रस्त स्थल पर पहुॅचा। प्रतिवादीगण के ठेकेदार के चौकीदार ने ताला खोला। कमीशन कार्य कराया। उक्त से यह स्पष्ट होता है कि वादग्रस्त भवन अमीन आयुक्त के निरीक्षण के समय प्रतिवादीगण के ठेकेदार के कब्जे में रहा जो अपीलान्ट / वादीगण के उक्त दावे की पुष्टि करता है कि वादग्रस्त भवन का भौतिक कब्जा अपीलान्ट को प्राप्त नही हुआ। **अवधारणीय बिन्दु संख्या–1 अपीलार्थी के पक्ष में निर्णीत किया जाता है।**

अवधारणीय बिन्दु संख्या–2 एवं 3

16. अवधारणीय बिन्दु संख्या–2 इस आशय से विरचित किया गया है कि क्या प्रश्नगत एच.आई.जी.डुप्लेक्स भवन संख्या–9 में रेस्पान्डेन्टगण द्वारा अमानक सामग्री का प्रयोग किया गया है यदि हॉ तो प्रभाव? एवं अवधारणीय बिन्दु संख्या–3 इस आशय से विरचित किया गया है कि क्या विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अमीन आख्या मय मानचित्र कागज संख्या–23ग पर ध्यान न देकर त्रुटि कारित की गयी है?

17. उपरोक्त दोनो वाद बिन्दु के स्वरूप एवं प्रकृति एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के दृष्टिगत यह उचित होगा कि दोनो अवधारणीय बिन्दुओ का निस्तारण एक साथ किया जाये। अतः उपरोक्त दोनो अवधारणीय बिन्दुओ का निस्तारण एक साथ किया जा रहा है।

18. अपीलार्थी / वादीगण के अनुसार प्रश्नगत आवंटित भवन में रेस्पाण्डेन्ट / प्रतिवादीगण द्वारा मानक के विरूद्ध घटिया सामग्री का प्रयोग किया गया। भवन में सगौन की लकडी के स्थान पर जामुन की लकडी का प्रयोग हुआ मिला। विद्युतीकरण का कार्य भी अधूरा मिला। पानी की सप्लाई हेतु मानक के अनुसार 20एम.एम. पाइप के स्थान पर मानक के विपरीत 15 एम.एम. की पाइप का प्रयोग मिला इस अलावा भवन में गेट व खिडकी का कार्य भी अधूरा मिला। भवन में पानी की टंकी, वासबेसिंग तथा टायलेट सीट मानक के अनुरूप न होकर छोटी तथा घटिया के अनुरूप मिली। वादीगण / अपीलान्ट ने उक्त भवन में कमियो को दूर करने के बाबत शिकायत प्रार्थना पत्र प्रतिवादी / रेस्पाण्डेन्ट संख्या–1 के कार्यालय में दिनॉक–21.08.2014, 19.09.2014 व 15.06.2015 को लिखित रूप में दिया गया परन्तु उस पर कोई कार्यवाही नही हुई। इसके बाद वादीगण / अपीलान्ट ने उक्त घटिया निर्माण के बाबत शिकायत मय वांछित शुल्क मु0–2000 / –रूपये का भुगतान एस.बी.आई. बैक में चालान संख्या–177 दिनॉक–14.07.2015 के द्वारा जमा करके लोकायुक्त महोदय उत्तर प्रदेश शासन को दिया। वादीगण / अपीलान्ट ने पुन : प्रतिवादी / रेस्पान्डेन्ट के यहॉ दिनॉक–18.06.2015 को उक्त भवन में घटिया सामग्री की जॉच कराने हेतु प्रार्थना पत्र दिया परन्तु प्रतिवादी / रेस्पान्उेन्ट हमेशा वादिनी / अपीलान्ट को परेशान करते रहे और उसे कार्यालय बुलाकर दौडाते रहे। वादीगण / अपीलान्ट ने प्रतिवादी / रेस्पाण्डेन्ट संख्या–1 के यहॉ विवादित भवन का भौतिक कब्जा प्रदान करने तथा मानक के खिलाफ लगाये गये सामानो को बदलने के बाबत दिनॉक–18.09.2014 को प्रार्थना पत्र दिया परन्तु कोई कार्यवाही नही हुई। वादीगण / अपीलान्ट ने प्रतिवादी / रेस्पाण्डेन्ट संख्या–2 के यहॉ विवादित भवन पर

भौतिक कब्जा प्रदान करने तथा भवन में प्रयुक्त घटिया सामग्री को मानक के अनुरूप लगवाने हेतु प्रार्थना पत्र क्रमशः 02.12.2014, 13.01.2015 तथा 18.06.2015 दिया किन्तु कोई कार्यवाही नही हुई। वादीगण / अपीलान्ट ने पुनः प्रतिवादी / रेस्पाण्डेन्ट संख्या–3 के समक्ष भी उक्त कमियो को दूर करने तथा विवादित भवन पर कब्जा प्रदान कराने के बाबत क्रमशः दिनॉक–22.04.2014, 20.03.2014, 21.08.2014, 18.09.2012 13.01.2015 तथा 18.06.2015 को दिया, परन्तु कोई कार्यवाही नही हुई। इसके अतिरिक्त वादीगण / अपीलान्ट ने विवादित भवन के सम्बन्ध में प्रतिवादी / रेस्पाण्डेन्ट संख्या–4 के समक्ष लिखित प्रार्थना पत्र दिनॉकित–18.06.2015 दिया परन्तु कोई कार्यवाही नही हुई न ही वादीगण / अपीलान्ट को भौतिक कब्जा ही दिया गया न ही भवन में प्रयुक्त घटिया सामग्री के स्थान पर तय शुदा सामग्री ही लगायी गयी।

19. उपरोक्त तथ्यो को साबित करने हेतु अपीलार्थी ने विचारण के दौरान अमीन आयुक्त को नियुक्त करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। अमीन आयुक्त द्वारा विवादित भवन का निरीक्षण कर अपनी आख्या कागज संख्या–23ग2 / 1 लगायत 23ग2 / 4 प्रस्तुत किया गया। अमीन आयुक्त द्वारा वादग्रस्त स्थल को आख्या संलग्न मानचित्र में लान रोशनाई तथा अक्षर ए,बी,सी,ए, को यथास्थान प्रदर्शित करते हुए आख्या दी की वादग्रस्त भवन के अन्दर अभी रिहायश नही है। भवन के अन्दर कुछ दरवाजे सड़ चुके है। मकान के अन्दर घास उगी है तथा दीवालो में सीलन है। पानी की पाइप 15एमएम की लगी है, बिजली का कार्य अधूरा है तथा लगे सामान निम्न स्तर के है। वादग्रस्त मकान के अन्दर अभी काफी काम अधूरा पडा है। अपीलार्थीगण के अनुसार अमीन आख्या कागज संख्या–23ग स्पष्ट रूप से अपीलार्थी के द्वारा प्रस्तुत किये गये वादपत्र का समर्थन करती है जिसमें वादग्रस्त भवन में प्रयुक्त अमानक सामग्री का प्रयोग किये जाने का प्रमाण स्थापित होता है। अमीन आयुक्त की आख्या 23ग को विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा साक्ष्याधीन पुष्टि किया गया, किन्तु उक्त रिपोर्ट 23ग2 को पक्षकारो द्वारा प्रस्तुत किये गये साक्ष्य के प्रकाश में ग्रहण नही किया और मौखिक साक्ष्य को नजरंदाज कर दिया गया। प्रस्तुत प्रकरण में अपीलार्थीगण की ओर से पी0डब्लू0–1 के रूप में उर्मिला चौधरी उपस्थित हुई जिन्होने साक्ष्य शपथपत्र में वादपत्र के किये गये कथनो का समर्थन किया है तथा रेस्पाण्डेन्ट के समक्ष अमानक सामगी के प्रयोग किये जाने के सम्बन्ध में विभिन्न तिथियो को समय–समय पर शिकायत भी की है जो यह दर्शाता है कि वादिनी उर्मिला चौधरी के बस मे जो था वो वह कार्यवाही कर रही थी। विद्वान विचारण न्यायालय ने मात्र वादिनी संख्या–1 उर्मिला

चौधरी (पी0डब्लू0–1)के द्वारा पृष्ठ संख्या–7 व 8 पर कहे गये इस बयान पर बहुत महत्व दिया जिसमें उसने यह कहा कि अगल–बगल के दोनो मकान जिनको एलाट किये गये है वे लोग परिवार के साथ रह रहे है एवं मकान में लगे सामग्री की जॉच के लिये उसने एक बढई को बुलाया था, जिसने साखू के जगह जमुना की लकडी लगाने की बात कही थी किन्तु वादिनी द्वारा बढई के नाम पता की जानकारी दी गयी न ही बढई का लिखित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया। वादिनी के द्वारा जिरह में कहे गये इस कथन पर बहुत जोर दिया गया कि उसने यह अनुमान लगाया है कि बिद्युत का कार्य, पाइप व टायलेट आदि का कार्य मानक के अनुरूप सही नही है, जब कि इस सम्बन्ध में रिपोर्ट पत्रावली में कोई रिपोर्ट ऐसी दाखिल नही की गयी जो लगायी गयी सामग्री को अमानक बताती हो। इसके अतिरिक्त इस बात पर भी बल दिया गया कि वादीगण मकान निर्माण के समय वादग्रस्त भवन में निरन्तर जाते रहे है तथा उनके द्वारा समय–समय पर लगायी जाने वाली सामग्री का निरीक्षण भी किया जाता रहा। इस तथ्य की पुष्टि वादी साक्षी पी0डब्लू0–2 के बयान से होती है। वादीगण / अपीलार्थीगण द्वारा तत्समय इस सम्बन्ध में कोई आपत्ति नही की गयी।

20. रेस्पाण्डेन्ट / प्रतिवादीगण द्वारा की गयी बहस एवं उक्त के सम्बन्ध में विद्वान विचारण न्यायालय के सम्पेक्षण को वादपत्र के अभिवचन एवं पक्षकारो के द्वारा प्रस्तुत किये गये साक्ष्य के प्रकाश में हम सम्पूर्ण मामले को देखते है तो यह पाते है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पूरी तरह से कब्जा प्रमाण पत्र पर उन्ही के विभाग के अधिकारी द्वारा सन्तोषजनक कब्जा प्रदत्त किये जाने की टिप्पणी को आधार मानते हुए यह माना कि वादीगण ने कब्जा लेने के समय कोई व्यवधान उत्पन्न नही किया तथा पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य मौजूद नही है कि प्रश्नगत भवन में लगायी गयी सामग्री मानक के अनुरूप नही है और इसी आधार पर वादीगण के दावे को मुख्य रूप से अस्वीकार कर दिया। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दिया गया यह निष्कर्ष साक्ष्य के प्रतिकूल दर्शित होता है। प्रस्तुत प्रकरण में प्रारम्भ से ही वादीगण द्वारा यही दावा किया गया कि प्रतिवादीगण ने वादग्रस्त भवन में अमानक सामग्री का प्रयोग किया है, जिसकी शिकायत उनके द्वारा कब्जा प्रमाण प्रपत्र प्राप्त होने के बाद से लगातार की जा रही थी। वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण को विभिन्न तिथियो पर की गयी शिकायतो से रेस्पाण्डेन्ट / प्रतिवादीगण द्वारा इंकार नही किया गया जो परोक्ष रूप से दर्शाते है कि वादीगण प्रश्नगत भवन में प्रयुक्त सामग्री से अमानक होने के आधार पर सन्तुष्ट नही थें तथा इस सम्बन्ध में लगातार चाराजोई कर रहे थे। उनकी शिकायत पर

रेस्पाण्डेन्ट / प्रतिवादीगण द्वारा कोई तवज्जो भी नही दी जा रही थी। अन्त में उन्हें थक—हार कर यह वाद प्रस्तुत करना पड़ा। दौरान बहस रेस्पाण्डेन्ट के अधिवक्ता द्वारा अवश्य ही यह कहा गया कि वादीगण / अपीलार्थी द्वारा की गयी शिाकायतो की जॉच करायी गयी थी जिसमें उनकी शिकायत झूठी पायी गयी किन्तु ऐसी कोई जॉच अथवा निष्कर्ष के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य रेस्पाण्डेन्ट अधिवक्ता की ओर से नही दिया गया है। अमीन आख्या की रिपोर्ट 23ग के अनुसार जब वादग्रस्त भवन का निरीक्षण किया गया तो भवन के लकडी के कई दरवाजे सडे पाये गये थे तथा घर में घास भी उगी थी तथा विद्युतीकरण का कार्य भी अधूरा था तथा पानी का पाइप भी 15 एमएम का लगा था। इसके अतिरिक्त यह भी अंकित किया कि वादग्रस्त भवन के अन्दर अभी काफी काम अधूरा पडा है। उल्लेखनीय है कि प्रतिवादीगण की ओर से उक्त अमीन आख्या 23ग पर अंकित विवादग्रस्त भवन में लगायी गयी सामग्री के मानक के बाबत कोई भी तथ्यात्मक आपत्ति नही की गयी है। प्रतिवादीगण / रेस्पाण्डेन्ट की ओर से मौखिक साक्षी के रूप में अवर अभियन्ता अयोध्या विकास प्राधिकरण छविनाथ पाण्डेय डी0डब्लू0—1 परीक्षित हुए। उनके द्वारा जिरह में यह कहा गया कि अवध विहार कालोनी के मकान में लगे दरवाजे व खिडकिया कॉनटेक्टर द्वारा लगाया गया है। इस कॉनटेक्टर का नाम अरविन्द कुमार सिंह था। यहॉ उल्लेखनीय है कि प्रश्नगत भवन में लगायी गयी सामग्री मानक के अनुरूप है कि नही अथवा उनकी गुणवात्ता मानक के अनुरूप है कि नही, इस तथ्य को प्रतिवादीगण / रेस्पाण्डेन्ट द्वारा ही साबित किया जा सकता था। साक्षी डी0डब्लू0—1 छविनाथ पाण्डेय द्वारा जिरह में यह कहा गया है कि प्राधिकरण द्वारा क्वालिटी व गुणवत्ता की जॉच किये जाने के उपरान्त ही भुगतान किया जाता है, किन्तु साक्षी ने कही भी नही कहा कि वादीगण / अपीलार्थीगण को प्रश्नगत भवन का कब्जा देने के पूर्व भवन में प्रयुक्त सामग्री की क्वालिटी व गुणवत्ता की जॉच कर ली गयी थी। प्रतिवादीगण / रेस्पाण्डेन्ट के द्वारा पत्रावली में ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया है जिससे यह दर्शित हो कि प्राधिकरण ने प्रश्नगत भवन में प्रयुक्त सामग्री की गुणवत्ता एवं क्वालिटी की जॉच की थी, जबकि ऐसी रिपोर्ट अवश्य ही प्राधिकरण के पास उपलब्ध होने की अपेक्षा की जा सकती है। अपीलार्थी / वादीगण की ओर से मूलवाद में सूची पत्र 10ग से अवध विहार परियोजना की विवरण पुस्तिका की छाया प्रति भी दाखिल की गयी है। जिसके अनुसार टेण्डर डाक्यूमेट में "**सिडयूल—जी'** वर्णित मानक के अनुसार ही प्रश्नगत भवन में सामग्री को लगाया जाना आवश्यक था, परन्तु प्रतिवादीगण / रेस्पाण्डेन्ट द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य दौरान विचारण प्रस्तुत नही किया गया कि उपरोक्त टेन्डर डाकूमेन्ट

"**<u>सिडयूल–जी</u>**" के अनुरूप वादग्रस्त भवन में सामग्री लगायी गयी थी। उल्लेखनीय होगा कि ऐसा कोई साक्ष्य प्राधिकरण / प्रत्यर्थीगण द्वारा दौरान बहस न्यायालय के संज्ञान में नही लाया गया कि अपीलार्थीगण / वादीगण को प्रश्नगत भवन में प्रयुक्त की गयी सामग्री की गुणवत्ता तथा मानक सम्बन्धित विवरण / प्रमाण पत्र की प्रति को भवन निर्माण कार्य पूर्ण होने के बाद उपलब्ध कराया गया था। ऐसे में अपीलार्थीगण / वादीगण से यह उम्मीद नही की जा सकती थी कि वह भवन निर्माण में प्रत्येक सामग्री की मानक अनुरूप गुणवत्ता का कोई लिखित साक्ष्य / प्रमाण को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा–101 लगायत 106 के अनुसार इस विशेष तथ्य को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर था, क्योकि उक्त तथ्यो की पुष्टि केवल प्राधिकरण के द्वारा ही की जा सकती थी कि प्रश्नगत भवन में मानक के अनुरूप सामग्रियो का प्रयोग हुआ है अथवा नही है। वादीगण / अपीलार्थी के पास ऐसे किसी साक्ष्य के होने की अपेक्षा नही जा सकती थी कि वह प्रश्नगत भवन में निर्मित सामग्री की गुणवत्ता की जॉच अपने स्तर से कराकर उसका साक्ष्य इक्ट्ठा कर न्यायालय में प्रस्तुत कर सकें जब कि यह साक्ष्य निश्चित तौर पर विकास प्राधिकरण / प्रत्यर्थीगण / प्रतिवादीगण के पास उपलब्ध होने की उपधारण की जा सकती है।वादीगण / अपीलार्थी के पास कब्जा प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरान्त भवन का निरीक्षण कर उसमें लगी सामग्री के मानक अनुरूप न पाये जाने पर शिकायत करने के अलावा कोई विकल्प नही था। प्रस्तुत प्रकरण में वादीगण / अपीलार्थी ने समय–समय पर तथा प्राधिकरण के विभिन्न अधिकारियो के समक्ष अपनी शिकायतो को प्रस्तुत किया। प्राधिकरण का यह कर्तब्य था कि आवंटी द्वारा की जा रही शिकायतो की वह जॉच कर आवंटी को सन्तुष्ट करते कि भवन में निर्माण किये जा रहे समस्त सामग्री सियडूल जी में वर्णित मानक के अनुरूप ही है। यह प्राधिकरण का कार्य था कि वह तकनीकि विशेषज्ञो से भवन का निरीक्षण कराकर यह सुनिश्चित करता कि ठेकेदार द्वारा भवन में लगायी जा रही सामग्री मानक के अनुरूप है कि नही और सन्तुष्ट हो जाने के बाद ही कि ठेकेदार का प्रमाण पत्र भी प्राप्त करता।

21. जहॉ तक रेस्पाण्डेन्ट / प्रतिवादीगण के अधिवक्ता की यह बहस कि वादी सांक्षी पी0डब्लू0–2 के बयान में यह कहा गया है कि वह वादिनी के साथ प्रश्नगत भवन में अक्सर जाया करता था, अर्थात वादीगण वादग्रस्त भवन का निरीक्षण कर रहे थे, और इस आधार पर वे वाद संस्थित करने के अधिकारी नही रह गये थे, का प्रश्न तो रेस्पाण्डेन्ट अधिवक्ता द्वारा दिया गया यह तर्क भी स्वीकार किये जाने योग्य नही है। पत्रावली के परिशीलन से यह दर्शित होता है कि अवश्य

ही वादी साक्षी पी0डब्लू0–2 मनीष कुमार वर्मा द्वारा यह बयान दिया गया कि वादिनी एवं उसके पति आवटिंत भवन पर हो रहे निर्माण के समय जाते रहे है, किन्तु मात्र इस कथन से यह निष्कर्ष नही निकाला जा सकता है कि प्रश्नगत भवन में मानक के अनुरूप सामग्री का ही प्रयोग किया जा रहा था। उल्लेखनीय है कि जब वादीगण / अपीलार्थीगण प्रश्नगत भवन में कथित तौर पर साक्षी पी0डब्लू0–2 मनीष कुमार के साथ जा रहे थे तब तक उन्हें प्रश्नगत भवन का कब्जा प्रदान नही किया गया था। अतः बिना कब्जा प्राप्त किये वादीगण / अपीलार्थीगण को प्रश्नगत भवन के सम्बन्ध में प्रयुक्त की गयी सामग्री के बाबत आपत्ति करने का कोई अधिकार हासिल नही था, इसलिये निरीक्षण के समय उनसे यह अपेक्षा नही जा सकती थी कि वे कार्य को रूकवा दे अथवा अमानक सामग्री के सम्बन्ध में प्राधिकरण को आपत्ति प्रस्तुत करें।

22. रेस्पाण्डेन्ट / प्रतिवादीगण के अधिवक्ता द्वारा एक अन्य बहस यह भी की गयी कि प्रश्नगत मकान के अगल–बगल के आवंटियो द्वारा अमानक सामग्री के सम्बन्ध में कोई शिकायत नही की गयी थी। इसलिये यह कहा जा सकता है कि प्रश्नगत भवन में मानक अनुरूप सामग्री का प्रयोग हुआ था। रेस्पाण्डेन्ट / प्रतिवादीगण के अधिवक्ता द्वारा की गयी इस बहस को स्वीकार नही किया जा सकता, क्योकि किसी एक आवंटी द्वारा आवटित भवन में प्रयुक्त की गयी सामग्री की शिकायत न किये जाने पर यह नही कहा जा सकता कि उक्त योजना के तहत निर्माण किये गये समस्त भवन की सामग्री मानक अनुरूप ही थी यहॉ यह भी उल्लेख करना समीचीन होगा कि साक्षी पी0डब्लू.'1 ने जिरह में यह कथित किया कि इसके अतिरिक्त एक अन्य व्यक्ति ने भी अमानक सामग्री के सम्बन्ध में एक मुकदमा विकास प्राधिकरण के विरूद्ध किया है। स्वयं साक्षी पी0डब्0–2 मनीष कुमार ने भी जिरह में यही बयान दिया है कि उसने विकास प्राधिकरण के विरूद्ध वाद योजित किया है। उस मुकदमे में घटिया सामग्री लगाये जाने का उल्लेख किया है तथा यह मुकदमा राज्य उपभोक्ता फोरम में लम्बित है। इस तरह स्पष्ट है कि न सिर्फ वादीगण बल्कि उक्त कालोनी के अन्य आवंटी द्वारा भी घटिया / अमानक सामग्री लाये जाने का वाद दाखिल किया गया है।

23. उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि प्रश्नगत एच.आई.जी.डुप्लेक्स भवन संख्या–9 में रेस्पान्डेन्टगण द्वारा अमानक सामग्री का प्रयोग किया गया है। अतः वादीगण / अपीलार्थी उक्त के सम्बन्ध में याचित अनुतोष को पाने के अधिकारी है।विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अमीन आख्या मय मानचित्र कागज संख्या–23गपर ध्यान न देकर त्रुटि कारित की गयी है। **अवधारणीय बिन्दु**

संख्या–2 एवं 3 तद्नुसार अपीलार्थी के पक्ष में निर्णीत किया जाता है।

.24. उपरोक्त वर्णित तथ्य एवं परिस्थितियो तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखीय साक्ष्यो तथा उपरोक्त विवेचित अवधारणीय बिन्दुओ के प्रकाश में यह निष्कर्ष निकलता है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा मूलवाद में विरचित बिन्दु संख्या–1,4एवं 5 का निष्कर्ष त्रुटिपूर्ण रूप से दिया गया है। प्रस्तुत अपील में विरचित अवधारणीय बिन्दु संख्या–1 लगायत 3 से यह साबित है कि प्रश्नगत भवन एच.आई.जी.–9 डुप्लेक्स जिसका विवरण वादग्रस्त के अन्त में दिया गया है का भौतिक कब्जा प्रतिवादीगण / रेस्पाण्डेन्ट द्वारा वादीगण / अपीलार्थीगण को नही दिया गया था। वादग्रस्त भवन उपरोक्त में लगायी गयी सामग्री मानक के अनुरूप नही है। अतः विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा मूलवाद संख्या– 243 / 2016 में पारित निर्णय / डिक्री दिनॉकित–19.09.2022 स्थिर बने रहने योग्य नही है एवं अपास्त किये जाने योग्य है, तथा वादीगण / अपीलार्थीगण अवध विहार योजना सिविल लाइन्स फैजाबाद /अयोध्या निकट परिक्रमा मार्ग फैजाबाद के बगल में स्थित प्रश्नगत भवन एच.आई.जी.–9 डुप्लेक्स में विकास प्राधिकरण के अवध विहार आवासीय योजना के विवरण पुस्तिका के सियडूल–जी. के अनुसार मानक एवं शुद्ध सामग्री सहित भौतिक कब्जा पाने के अधिकारी है। अतः मूलवाद संख्या–243 / 2016 वादीगण के पक्ष में आज्ञप्ति किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

25. प्रस्तुत दीवानी अपील सव्यय स्वीकार की जाती है। विद्वान अवर न्यायालय द्वारा मूलवाद सं0–243 / 2016 उर्मिला चौधरी एवं अन्य बनाम सचिव अयोध्या विकास प्राधिकरण एवं अन्य में पारित निर्णय व डिक्री दिनॉकित–19.09. 2022 अपास्त की जाती है। मूलवाद संख्या–243 / 2016 उर्मिला चौधरी एवं अन्य बनाम सचिव अयोध्या विकास प्राधिकरण एवं अन्य में वादीगण का वाद सव्यय आज्ञप्ति किया जाता है। प्रतिवादीगण को जरिये आदेशात्मक निषेधाज्ञा / आदेशित किया जाता है कि वे अपील में पारित निर्णय से तीन माह के भीतर वादीगण /अपीलार्थीगण को अवध विहार आवासीय योजना स्थित एच.आई.जी.–9 डुप्लेक्स जिसका विवरण वादपत्र के अन्त में दिया गया है, में प्रयुक्त अमानक सामग्री को बदल कर अवध विहार आवासीय योजना की विवरण पुस्तिका में वर्णित सिडयूल जी.के अनुरूप मानक सामग्री लगाकर वादीगण को कब्जा प्रदान करें।

(मोहिन्दर कुमार)

दिनांक–18.12.2023,

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश /
ई0सी0एक्ट अयोध्या।

निर्णय आज खुले न्यायालय में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित, दिनांकित करके सुनाया गया।

(मोहिन्दर कुमार)

दिनांक–18.12.2023, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश / ई0सी0एक्ट अयोध्या।